कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./ 1522 बैकुण्ठपुर, दिनांक 02/12/ 2020

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत भारतनेट प्रोजेक्ट फेज -2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.746 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव। पंजीयन क. FP/CG/OFC/42198/2019

संदर्भ :- 01. छ0ग0 शासन, वन विभाग का पत्र क्./ एफ 5-24 /2020/10-2 दिनांक 09.10.2020
02. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर, का पत्र क./भू-प्रबंध/ विविध/115-816 /1839, नया रायपुर दिनांक 16.10.2020
03. आपका पत्र क./ मा.चि./4463 अम्बिकापुर दिनांक 21.10.2020
04. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इन्फोटक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 का पत्र क. 2022/समुकाअ/चिप्स/2020 रायपुर, दिनांक 25.11.2020

विषयान्तर्गत छ0ग0 शासन वन विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र क. 01 के द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट फेज-2 के तहत् भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के तहत् प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव में 06 बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी आवेदक विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र क. 04 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

छ0ग0 शासन द्वारा वांछित अतिरिक्त 06 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

-: <u>जानकारी का विवरण</u> :-

बिन्दु क.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क. 4 से 8 मे दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 105 टुकडों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क. को अनेक बार आवेदित किया गया है। (जैसे कक्ष क. 461 दो बार, 570 दो बार, 572A 3 बार एवं P576 का विवरण 4 बार दिया गया है) इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है, कि उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है। उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-II) में आवेदित उक्त वनभूमि का रकबा को कक्ष वार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :- (संदर्भित पत्र में उल्लेखित 10 कॉलम में तालिका) उस तालिका में कक्ष क. की पुनरावृत्ति नही होगी। तथा आवेदित वन भूमि का विवरण कक्षवार एकजाई	प्रस्तातिव ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य में केबल लाईन कोई एक वन कक्ष में एक से अधिक बार गुजरने की स्थिति में कक्ष के अलग - अलग भूखण्डों की गणना अलग - अलग की गई है। अतः एक ही कक्ष की प्रविष्टि अनेक बार की गई है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-829/1783 नवा रायपुर दिनांक 07.10.2020 तथा छ0ग0 शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2020/10-2 दिनांक 21.09.2020 के परिपालन में बिन्दु - 3 में उल्लेखित 10 कॉलम मय तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

	वाले अनुमति पत्र में एक कक्ष के कुल एकजाई रकबा का एक बार वर्णन दर्ज हो सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि भारत नेट परियोजना फेस के तहत राज्य शासन को प्रेषित किये जा रहे भारत नेट परियोजना के समस्त प्रकरणों में इसी तरह का (आवेदित वन क्षेत्र) विवरण भेजा जा रहा है। पूर्व में धमतरी वनमण्डल के प्रकरण में भी ऐसा ही विवरण होने पर आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि को मंत्रालय में उपस्थित किया जाकर उपरोक्तानुसार सुधार करवाया गया तथा समझाईश दी गई कि, आगामी प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में इसकी पुनरावृत्ति न हों किन्तु उक्त त्रुटि का सुधार नही हो पा रहा है। उपरोक्त त्रुटि को संशोधित कर राज्य शासन को भेजे जाने वाले प्रकरणों में भी उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित करना सुनिश्चित करें।	**संलग्न :– पेज क. 01 से 04 तक।**
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क. 9 में गैर वन क्षेत्र हेतु 18.04 हे. प्रभावित दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत विवरण संलग्न प्रेषित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न आनलाईन फार्म– A, पार्ट –01 में ग्रामवार गैर वन क्षेत्र का विवरण उल्लेख किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः जानकारी प्रेषित है । **संलग्न :– पेज क. 05 से 11 तक।**
3	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 11 के अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है किन्तु प्रस्ताव पृष्ठ क. 55 में प्रदायित वनमण्डलाधिकारी के अनुशंसा (भाग–2) के बिन्दु क. IV में घनत्व 0.5 से अधिक है।	वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.55 में प्रदायित (भाग – 2) के बिन्दु क्रं. VI में घनत्व 0.5 से अधिक है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 के पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–827 / 1529 नवा रायपुर दिनांक 18.08.2020 के बिन्दु क्रं. 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है। जो कि टंकण त्रुटि है, उक्त त्रुटि को संबंधित कार्यालय से संशोधित किया जावेगा। **संलग्न :– पेज क. 12 से 15 तक।**
4	प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में लेख है कि मार्ग (लम्बाई 39. 719 किमी. तथा क्षेत्रफल 1.986 वर्ग कि.मी. गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि में अंतर्गत स्थित है । कृपया इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त प्रेषित करें।	आवेदक विभाग द्वारा यह लेख किया गया है कि आवेदित क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि0मी0 के परिधि के अंतर्गत स्थित है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. रूट विद्यमान मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही किया जावेगा केबल बिछाने के कार्य भूमिगत सामानांतर ड्रिलिंग तकनीक से वन अधिकारियों की जानकारी एवं देख–रेख में किया जोवगा जिससे वन्यप्राणी एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न हो। आवेदित क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर से या उसके सीमा से होकर नही गुजर रहा है। अतः इस संबंध में

		की आवश्यकता नही है। **इस संबंध में बिन्दु क्रं. 6 में विस्तृत विवरण दिया गया है।**
5	प्रस्ताव के पृष्ठ 78 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र रकबा 4.680 हे. के लिए प्रदाय किया गया है। जबकि कुल आवेदन 4.746 हे. हेतु आवेदित है।	कलेक्टर जिला कोरिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् केवल वनभूमि का रकबा 4.680 हें. के लिए अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है जबकि कुल आवेदन 4.746 हें. हेतु आवेदित है। शेष राजस्व वनभूमि रकबा 0.066 हें. के लिए अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने हेतु आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।
6	संदर्भित पत्र के बिन्दु क. 21 में लेख किया गया है, कि राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा आवश्यक नही है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क. 6–175/2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करे। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रं. 6–175/2017 WL दिनांक 19.02.2018 में उल्लेख किया गया है कि ऑप्टिकल फाईबर केबल मार्ग के राईट ऑफ वे में राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य, टाईगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्र जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, के अंदर से बिछाये जाने के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। **संलग्न :– पेज क. 16 से 17 तक।**

उक्त के अतिरिक्त आवेदक विभाग द्वारा आपतियों के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 4 द्वारा दिया गया पालन प्रतिवेदन की प्रति **पेज कं. 18 से 20 तक संलग्न है।** अतः अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 03 प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

पृ0क्रमांक/तक.क./ 1523 बैकुण्ठपुर, दिनांक 02/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर